

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**आदेश**

संख्या-03/स्था0रा0अ0(प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन)-120/2024-.....(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

अधीक्षक (स्थापना), वित्तीय आयुक्त, राजस्व एवं अपर मुख्य सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, चंडीगढ़, हरियाणा के पत्रांक-255, दिनांक-12.01.2026 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में श्री रिंकू यादव, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़हरा, भोजपुर, बिहार सम्प्रति प्रतिनियुक्त नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग, हरियाणा सरकार को बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 के नियम-21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची-'क' की कंडिका-9(i) के तहत दिनांक-20.02.2026 से अगले चार (04) वर्ष तक के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि को विस्तारित किये जाने के निमित्त अनापत्ति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मोना झा),

उप निदेशक,

सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापक-03/स्था0रा0से0(प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन)-120/2024-~~822~~.....(3)/रा0 पटना, दिनांक-~~26-05-2026~~

ई-मेल

/  
निबंधित

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, हरियाणा/अधीक्षक (स्थापना), वित्तीय आयुक्त राजस्व एवं अपर मुख्य सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, चण्डीगढ़, हरियाणा को उनके पत्रांक-255 दिनांक-12.01.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा) 26/05/26

उप निदेशक,

सर्वेक्षण कार्यालय।